कार्यालय नियंत्रक, नाप–तौल (विधिक मापविज्ञान), मध्यप्रदेश
होशंगाबाद रोड, भोपाल–462011

क्र. 2681 / नातौ / प्रव. / 2011 भोपाल, दिनांक 9.8.11

प्रति,

समस्त उप / सहायक नियंत्रक / निरीक्षक,
नाप–तौल (विधिक मापविज्ञान),
मध्यप्रदेश

विषय :– म.प्र. विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 की अनुसूची–8 में नाप–तौल उपकरणों के सत्यापन के देय शुल्क के संबंध में।

——000——

म.प्र. विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 दिनांक 30–6–2011 से प्रभावशील हुए है। इन नियमों की अनुसूची–8 में विभिन्न नाप–तौल उपकरणों के लिये देय शुल्क का विवरण दिया गया है, जिसकी कण्डिका क्र. 17 में काउंटर मशीन के लिये देय शुल्क निम्नानुसार है :–

(17) काउंटर मशीन्स :

(एक) 10 किग्रा क्षमता तक: रू. 20.00

(दो) 10 किग्रा क्षमता से अधिक: रू. 50.00

कतिपय निरीक्षकों द्वारा सेल्फ इंडिकेटिंग एवं सेमी सेल्फ इंडिकेटिंग काउंटर मशीन के सत्यापन के संबंध में देय शुल्क के बारे में भ्रम की स्थिति होने की जानकारी दी है कि इनके लिये देय शुल्क क्या होगा?

विधिक मापविज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 की अनुसूची–7 के शीर्षक बी में काउंटर मशीन्स के स्पेसिफिकेशन आदि दिये गये हैं, जिनमें सेल्फ इंडिकेटिंग एवं सेमी सेल्फ इंडिकेटिंग मशीनों को शामिल नहीं किया गया है।

स्पष्ट है कि सामान्य नियम, 2011 की अनुसूची–7 के शीर्षक बी में दर्शायी गई काउंटर मशीनों के सत्यापन के लिये कंडिका–17 में देय शुल्क लिया जाना है।

अतः सेल्फ इंडिकेटिंग एवं सेमी सेल्फ इंडिकेटिंग काउंटर मशीन के लिये उनके प्रवर्ग अनुसार म.प्र. विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 की अनुसूची–8 की कंडिका 6 अथवा 8 के अनुसार सत्यापन शुल्क देय होगा।

नियंत्रक,
नाप–तौल (विधिक मापविज्ञान),
म.प्र. भोपाल